

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ 2014 / अलेसे-III / 222-243

दिनांक: 22-9-2015

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 22-9-2015 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है:-

क.सं	नाम लेखाकर्मियों सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से कब तक	
1	2	3	4

सहायक लेखाधिकारी-I

1	महावीर प्रसाद जैन	15.05.2015 to 22.06.2015	अति.मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जयपुर
2	राधेश्याम स्वर्णकार	23.04.2015 to 23.06.2015	निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
3	राजेन्द्र सिंह	29.04.2015 to 22.06.2015	वित्तीय सलाहकार एवं मुलेअ, जलप्रदाय एवं सीवरज प्रबन्ध मण्डल जयपुर
4	ऋषिकेश माथुर	29.04.2015 to 23.06.2015	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर

सहायक लेखाधिकारी-II

1	आनन्द मोहन सक्सेना	04.05.2015 to 22.06.2015	निरीक्षण विभाग जयपुर
2	गिरीश कुमार गुप्ता	01.05.2015 to 22.06.2015	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग(आईसीडीएस) जयपुर
3	प्रभुसिंह शेखावत	09.04.2015 to 22.06.2015	निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
4	सुरेश चन्द्र शर्मा	11.04.2015 to 23.06.2015	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग(आईसीडीएस) भरतपुर
5	ताराचन्द शर्मा	24.04.2015 to 22.06.2015	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. परिवार कल्याण जयपुर

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

दिनांक: 22-9-15

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ-2014 / अलेसे-III / 222-243

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें। (वेबसाइट से)
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन-लेखा अनुभाग) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
3. ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक, अलेसे-I / अलेसे-II / अलेसे-III मय अतिरिक्त प्रतियाँ निजी पत्रावली हेतु
5. श्री _____ सहायक लेखाधिकारी-I / II / क0 लेखाकार कार्यालय- _____ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
6. व0 निजी सहायक, निदेशक
7. निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)